सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि $\frac{\text{05 अग्रहायण, 1946 (श०)}}{\text{26 नवम्बर, 2024 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 168

(1)	शिक्षा विभाग	..	..	107
(2)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग	..	..	12
(3)	समाज कल्याण विभाग	..	..	07
(4)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	..	..	01
(5)	खान एवं भूतत्व विभाग	..	..	03
(6)	विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	..	..	02
(7)	परिवहन विभाग	..	..	10
(8)	खेल विभाग	..	..	18
(9)	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	..	..	01
(10)	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	..	..	07
			कुल योग --	168

विद्यालय भवन का निर्माण

*1. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के बिहपुर प्रखंड में हरिओ पंचायत अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय, कहारपुर चार वर्ष पूर्व कोशी नदी से कट कर बह गया है जिससे कहारपुर और गोविन्दपुर मुशहरी के छात्र-छात्राओं को पढ़ने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कहारपुर में सरकारी जमीन पर कबतक विद्यालय बनाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का चहारदीवारी का निर्माण

*2. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अंतर्गत जीरादेई प्रखण्ड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पुखरेड़ा का चहारदीवारी नहीं रहने से यहाँ पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को सुरक्षा का खतरा बना रहता है क्योंकि विद्यालय के दो तरफ पक्की सड़क है और वाहनों का आवागमन ज्यादा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*3. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत रा0 कृ0 रामानन्दन +2 विद्यालय, मोहनपुर में खेल मंत्री द्वारा घोषणा किया गया था कि वहाँ स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा ताकि छात्रों का शिक्षा के साथ-साथ खेल में भी विकास हो सके ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्टेडियम निर्माण के लिए अबतक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है जबकि स्टेडियम निर्माण हेतु उक्त विद्यालय का मैदान सभी अर्हता पूरी करता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालय के मैदान में स्टेडियम के निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार कराना

*4. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के पकरीबरावां प्रखण्ड अन्तर्गत बुधौली मठ काफी प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण है जो वर्तमान में जर्जर अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मठ के भवन का जीर्णोद्धार कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण

*5. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया (अ0 जा0))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दलित विकास मिशन के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से अनुसूचित जाति/जन-जाति बाहुल्य गांवों में सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण कराये जाने की योजना लागू है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गया जिला अंतर्गत फतेहपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत मेयारी के ग्राम-आमीन टोला, जेहलीबिगहा, राजवंशी टोला एवं ग्राम पंचायत नगमा के ग्राम-नगमा रविदास अनुसूचित जाति बाहुल्य होने के बावजूद भी सामुदायिक भवन-सह- वर्क शेड का निर्माण अभीतक नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त गांवों में सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई करना

*6. श्री यूसुफ सलाहउद्दीन (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के सिमरी बख्तियारपुर, सलखुआ एवं महिषी स्थित विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के शुद्ध पेयजल मुहैया कराने हेतु बोरिंग कार्य करवाया गया है जिसकी गहराई प्राक्कलन के अनुसार जितनी होनी चाहिए, उतनी नहीं है, साथ ही अधिकांश विद्यालयों में बच्चों को अभीतक शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उसकी जाँच करवाकर दोषी संवेदकों एवं विभागीय पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने कि विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का भवन निर्माण

*7. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगाँव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, आजमपुर एवं प्राथमिक विद्यालय, सन्हौला अनुसूचित का अपना भवन नहीं है, जिससे छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*8. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड-काराकाट के पंचायत-बारडीह के विशनपुर में प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर होने के कारण प्राथमिक विद्यालय, विशनपुर को मध्य विद्यालय, बारडीह से संचालित किया जा रहा है, जो कि एक किलो मीटर की दूरी पर है जिससे छोटे-छोटे बच्चों-बच्चियों को विद्यालय जाने-आने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है ;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कार्य कराते हुए पुनः सुचारू रूप से संचालित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों को वेतन देना

*9. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0 ज0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत कुमारीपुर पंचायत के 609/396 मदरसातुल बनात राघोपुर के शिक्षकों के वेतन जनवरी, 2023 से बंद है, यदि हाँ, तो सरकार उन्हें वेतन देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

एम0 एड0 योग्यताधारी की स्थायी नियुक्ति

*10. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में शिक्षक प्रशिक्षण संस्था यथा डायट, बाइट एवं राजकीय प्रशिक्षण संस्था में स्वीकृत पदों के विरुद्ध शिक्षकों की काफी कमी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती वृहत पैमाने पर की जा रही है जिन्हें समय-समय पर प्रशिक्षण भी करा रही है परन्तु अधिकांश संस्थान में गेस्ट फैक्लटी के तहत सेवा ले रही है जबकि स्वीकृत पदों के विरुद्ध एम0 एड0 योग्यताधारी की नियुक्ति नहीं किया जा रहा है जिससे शिक्षकों में काफी निराशा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त संस्थाओं में एम0 एड0 योग्यताधारी की स्थायी नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई करना

*11. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि +2 जनता उच्च विद्यालय, जीवछघाट में (चहारदीवारी, मकान एवं सौंदर्यीकरण) निर्माण कार्य BSIEDC के द्वारा किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिना प्रबंध समिति के निर्णय के ही पूर्व से निर्मित भवन करकटवारी तोड़ा गया एवं कीमती लकड़ियों को बेचा गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि संवेदक, प्रधानाध्यापक एवं विभाग के अभियंताओं के मिलीभगत से घटिया निर्माण तथा चहारदीवारी का निर्माण पूर्व से निर्धारित जमीन मापी के अनुसार स्कूल की जमीन छोड़कर किया जा रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जांचकर दोषी संवेदक एवं अभियंताओं पर कार्रवाई करने के विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*12. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियां विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी कॉलेजों में विगत 03 वर्षों से स्नातक प्रथम खंड के नामांकन में विश्वविद्यालय के ऑनलाइन एजेंसी द्वारा बिना किसी कट ऑफ के छात्रों का मेरिट लिस्ट जारी कर नामांकन लिया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्णियां विश्वविद्यालय के ऑनलाइन एजेंसी एवं पदाधिकारियों के मिलीभगत से वर्ष 2024 में नामांकन हेतु आवेदित 7500 छात्रों का डाटा डिलीट कर बिना कट ऑफ के छात्रों से अवैध उगाही कर गलत मेरिट लिस्ट जारी कर नामांकन लिया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक पूर्णियाँ विश्वविद्यालय के नामांकन एजेंसी एवं संलिप्त पदाधिकारियों पर जांच कराकर कार्रवाई व नामांकन एजेंसी को बर्खास्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*13. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत प्रखण्ड रफीगंज के पंचायत केराप के ग्राम-नवाखाप स्थित प्राथमिक विद्यालय, नवाखाप का भवन नहीं है, जिस कारण पढ़ाई पेड़ के नीचे होने से बच्चों को पढ़ाई करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में जमीन उपलब्ध कराकर भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बीमा कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई कराना

*14. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2023-24 में बिहार मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण के आदेश के बावजूद बीमा कंपनियों द्वारा 80 मामलों में 3.96 करोड़ रुपये मुआवजा का भुगतान अबतक मृतकों के आश्रितों को नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 01 अप्रील, 2023 के पूर्व हीट रन एण्ड वाहन दुर्घटना में राज्य के 38 जिलों में 1000 से अधिक मृतकों के आश्रितों को मुआवजा का भुगतान अबतक नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुआवजा का भुगतान नहीं करने वाली दोषी बीमा कंपनियों के विरुद्ध जांच कराकर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अंशकालिक पद को भी पूर्णकालिक करना

*15. श्री शिव प्रकाश रंजन (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेश की नियुक्ति उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC 7651/2017 में आदेशित पद Physical Instructor And Physical Teacher (शारीरिक अनुदेशक या शारीरिक शिक्षक) के विपरित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मध्य विद्यालय में पूर्व से नियोजित शारीरिक शिक्षक और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक (अंशकालिक) का योग्यता/अर्हता भी एक ही है तथा दोनों को स्थानीय निकाय द्वारा ही नियुक्त किया गया है और दोनों की सेवा भी 60 वर्ष की है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियोजित शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक (अंशकालिक) को भी पूर्णकालिक करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन एवं स्थानांतरण

*16. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सक्षमता पास पुरूष शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण विभागीय निर्देश के आलोक में गृह अनुमंडल को छोड़कर दस अनुमंडल में करने का प्रावधान किया गया है जबकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के आलोक में उपरोक्त शिक्षकों का जिला आवंटन एवं कांउसलिंग भी हो चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सक्षमता पास शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण मैरिट के आधार पर BSEB द्वारा आवंटित जिला में ही होना था और 2020 शिक्षक नियोजन नियमावली में भी शिक्षकों के लिये म्यूचुअल स्थानांतरण का प्रावधान था जिसकी घोषणा सरकार कर चुकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सक्षमता पास पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण मैरिट के आधार पर आवंटित जिला में जहां काउंसिलिंग हो चुकी है वहां करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुराना भाड़ा बहाल करना

*17. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कोरोना काल के समय बसों में सामाजिक दूरी बनाने के लिये दो सीटों पर सिर्फ एक यात्री को बैठाया जाता था और दोनों सीटों का भाड़ा उस यात्री से वसूला जाता था ;

(2) क्या यह बात सही है कि करोना काल समाप्त हुये बहुत दिन हो गया और प्रत्येक सीट पर एक-एक यात्री को बैठाया जाता है परन्तु सीवान जिला में बस यात्रियों से भाड़ा करोना काल वाला ही वसूला जा रहा है जिससे यात्री का आर्थिक दोहन होने से काफी आक्रोश है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बसों में यात्रियों का पुराना भाड़ा बहाल करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुसूचित जाति महिला +2 विद्यालय खोलना

*18. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के अलौली प्रखण्ड में एक भी अनुसूचित जाति महिला +2 विद्यालय नहीं होने से गरीब छात्र-छात्राओं को घर से 100 कि०मी० पढ़ने जाना पड़ता है, जिससे काफी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर विद्यालय निर्माण करने की मांग बहुत पहले से किया जा रहा है क्योंकि उक्त इलाका महादलित बहुल है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खगड़िया जिला के अलौली प्रखण्ड में एक अनुसूचित जाति महिला +2 विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*19. श्री श्रीकान्त यादव (क्षेत्र संख्या-113 एकमा)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत एकमा प्रखण्ड के पूरब राजापुर गाँव के पास सरकारी जमीन पर स्टेडियम प्रस्तावित है परन्तु अभीतक स्टेडियम का निर्माण नहीं होने से आस-पास के पंचायत एवं नगर पंचायत के युवाओं को खेल अभ्यास में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सरकारी भूमि पर स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा राशि का भुगतान

*20. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 विक्रम)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात् मृतक के आश्रित को 4 लाख मुआवजा राशि देने का प्रावधान है, परन्तु पटना जिलान्तर्गत नौबतपुर प्रखंड स्थित पंचायत-अजवाँ, ग्राम-अजवाँ बथानी के शैलेन्द्र कुमार, पिता-केदार चौहान की मृत्यु दिनांक 23 मई, 2021 को प्रखंड नौबतपुर पंचायत-करंजा, ग्राम-सरारी के मंटू प्रसाद, पिता-विशेख प्रसाद की मृत्यु दिनांक 16 नवम्बर, 2022 को एवं प्रखण्ड नौबतपुर, पंचायत-चिरौरा, ग्राम-श्रीवर गोपालपुर के हरेन्द्र कुमार, पिता स्वर्गीय पालटून साव की मृत्यु दिनांक 07 अगस्त, 2024 को सड़क दुर्घटना में हो गयी थी, जिसका सत्यापन विभाग द्वारा किये जाने के बावजूद आजतक आश्रित परिवारों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मृतक के आश्रितों को मुआवजा राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण

*21. श्री मिश्री लाल यादव (क्षेत्र संख्या-81 अलीनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखण्ड के किरतपुर में प्राथमिक विद्यालय, किरतपुर का भवन जर्जर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय भवन जर्जर होने के कारण बच्चों को कहीं अन्यत्र पढ़ाया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्राथमिक विद्यालय, किरतपुर का भवन निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियमों में आधुनिक स्तरीय सुविधा

*22. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत केवटी प्रखंड एवं सिंघवाड़ा प्रखंड के स्टेडियम में खिलाड़ियों को आधुनिक स्तरीय सुविधा उपलब्ध नहीं रहने के कारण सुदूर ग्रामीणों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्टेडियमों में आधुनिक स्तरीय सुविधा बहाल कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवासीय विद्यालय की स्थापना

*23. श्री शमीम अहमद (क्षेत्र संख्या-12 नरकटिया)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत छौड़ादानों प्रखंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिये एक भी आवासीय विद्यालय उपलब्ध नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति बाहुल्य क्षेत्र है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति आवासीय विद्यालय नहीं रहने के कारण उक्त समाज के लोगों के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्रखंड में कबतक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*24. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक 1808, दिनांक 27 अक्टूबर, 2023, पत्रांक 2038, दिनांक 28 नवम्बर, 2023 एवं पत्रांक 60, दिनांक 4 जनवरी, 2024 द्वारा सीवान जिला अन्तर्गत शेष बचे सभी प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव की मांग जिला पदाधिकारी, सीवान से की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जिला के गोरेयाकोठी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत लकड़ी नवीगंज बसंतपुर एवं गोरेयाकोठी प्रखंड में अभीतक खेल स्टेडियम का निर्माण का प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा नहीं दिये जाने के कारण वर्ष 2011 से लंबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रखंड लकड़ी नवीगंज बसंतपुर एवं प्रखंड गोरेयाकोठी में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस सेवा संचालित करना

*25. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की एक मात्र बस सेवा आरा से डिहरी होते हुये रोहतास जिला तक संचालित हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नासरीगंज, डिहरी एक पुराना व्यावसायिक स्थान है फिर भी पटना से नासरीगंज होते हुये डिहरी तक एक भी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा उपलब्ध नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना वाया नासरीगंज होते हुये डिहरी तक की बस सेवा संचालित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का भवन निर्माण

*26. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अन्तर्गत बेगूसराय प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिनेद्पुर के प्रांगण में 10+2 के भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा आवंटित राशि और कार्य एजेंसी का चयन कर कार्य सौंपने के बावजूद भी निर्माण कार्य अबतक प्रारंभ नहीं हो सका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने से कमरे के अभाव में छात्रों को पढ़ाई में काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बस सेवा की व्यवस्था

*27. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला से अलौली-खगड़िया-पटना, अलौली-बखरी-पटना तथा अलौली से कुशेश्वरस्थान दरभंगा की सीधी सरकारी बस सेवा नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थानों से प्राप्त प्रतिदिन हजारों जनता राजधानी पटना एवं दरभंगा की यात्रा करते हैं, सरकारी बस सेवा नहीं होने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ऊपर वर्णित स्थानों पर सरकारी बस सेवा चलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रमाण-पत्र जारी कराना

*28. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मगध विश्वविद्यालय बोध गया एवं जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, छपरा द्वारा स्नातक सत्र 2020—23 का अंतिम परिणाम मार्च 2024 में घोषित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विश्वविद्यालय द्वारा अभीतक स्नातक सत्र 2020—23 का प्रमाण—पत्र (प्रोविजनल/ओरिजिनल) निर्गत नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त सत्र के छात्र-छात्राएं प्रतियोगी परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर पा रहे हैं और प्रतियोगी परिक्षायों से वँचित रह जा रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त विश्वविद्यालयों के स्नातक सत्र 2020-23 के छात्र-छात्राओं का प्रमाण-पत्र कबतक जारी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*29. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखण्ड अन्तर्गत तिलकताजपुर पंचायत स्थित मखनु उच्च विद्यालय, तिलकताजपुर एवं माणिक चौक दक्षिणी पंचायत स्थित, महंथ विजयानन्द गिरि उच्च विद्यालय, माणिक चौक का भवन जर्जर है, जिससे छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों उच्च विद्यालयों में 10+2 स्तरीय भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों का पदस्थापन कराना

*30. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ०जा०)) - क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत, पचीरा में उच्च माध्यमिक विद्यालय, पचीरा को वर्ष 2020 में इन्टर स्तरीय विद्यालय में उत्क्रमित किया गया, किन्तु उक्त विद्यालय में इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान एवं संगीत के शिक्षक के पद अबतक रिक्त हैं, जिससे छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में संबंधित विषय के शिक्षक का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय के भवनों का निर्माण

*31. श्री अवध बिहारी चौधरी (क्षेत्र संख्या-105 सीवान)- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के सीवान प्रखण्ड के बघड़ा पंचायत में मध्य विद्यालय, बघड़ा एवं बड़हरिया प्रखण्ड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, लकड़ी का भवन जर्जर है, प्रश्नकर्त्ता सदस्य द्वारा उक्त विद्यालयों का भवन निर्माण हेतु दो वर्ष पूर्व में अनुशंसा कर निर्देशक, शिक्षा परियोजना पटना को भेजा गया है, लेकिन आजतक जर्जर विद्यालय भवनों का निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों के जर्जर कमरों एवं अतिरिक्त भवनों का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*32. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अंतर्गत पंचायत शेखपुर दानी के ग्राम नवटोलिया स्थित प्राथमिक विद्यालय, नवटोलिया में विद्यालय का भवन नहीं रहने के कारण लगभग 500 बच्चों का वर्ग संचालन खुले आसमान के नीचे होता है, यदि हाँ, तो सरकार प्राथमिक विद्यालय, नवटोलिया में कबतक भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि उपलब्ध कराना

*33. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ०जा०))- क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखंड कुटुम्बा के ग्राम-सौंड़ी, बदरपुर, भलुआड़ा कला एवं नरसिंहा में महादलित वर्क शेड सह-सामुदायिक भवन का निर्माण तय मानक के अनुरूप विवाद रहित पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण स्वीकृत भवन-सह-शेड का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार महादलित वर्क शेड-सह-सामुदायिक भवन निर्माण हेतु तय मानक के अनुरूप विवाद रहित पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण

*34. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया) क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के चिरैया प्रखंड के ग्राम पंचायत खड़तरी मध्य अंतर्गत ग्राम-खड़तरी महादलित बस्ती में करीब 100 घर महादलित परिवार है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम में सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड नहीं है एवं पर्याप्त भूमि उपलब्ध हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त टोला में सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मूल्य का निर्धारण

*35. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)- क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान है जिसके लिए आलू की 7/- रुपये प्रति किलों एवं दाल 69/- रुपये प्रति किलो खरीदने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि पिछले 6 महीने से आलू का बाजार भाव 30/- रुपये प्रति किलो एवं दाल का बाजार भाव 120/- रुपये प्रति किलो से 165/- रुपये प्रति किलो है;

(3) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा निर्धारित दर से खरीद करने पर बच्चों को सही मात्रा में समुचित पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उतर स्वीकारात्मक हैं, तो विभाग द्वारा बाजार के अनुसार मूल्यों का निर्धारण नहीं करने का क्या औचित्य है ?

क्रशर मशीन को पुन: चालू कराना

*36. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के करवंदिया में क्रशर मशीन को बंद करने से 50,000 मजदूर भूखमरी के कगार पर आ गए हैं, जबकि राज्य के अन्य जिलों में क्रशर मशीन चलाया जा रहा है, जिसके कारण रोहतास तथा अगल-बगल के जिला में गिट्टी महंगा मिल रहा है, यदि हाँ तो, सरकार कबतक रोहतास जिला के करवंदिया में बंद क्रशर मशीन को पुन: चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

टोला सेवक की बहाली

*37. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ०जा०))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति/जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में टोला सेवक की बहाली गाँव के सभी बच्चों को विद्यालय भेजने के उद्देश्य से किया गया है जबकि मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किसी भी गाँव में टोला सेवक की बहाली आजतक नहीं की जा सकी है, जिससे सरकार के इस योजना का लाभ सिंहेश्वर विधान सभा क्षेत्र के गाँव के लोगों को नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार सिंहेश्वर विधान सभा क्षेत्र के गाँव में भी टोला सेवक की बहाली करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्नातक नामांकन में सीट वृद्धि

*38. राम रतन सिंह (क्षेत्र संख्या-143 तेघड़ा)-क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला में हर साल छात्रों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण महाविद्यालयों में स्नातक में नामांकन हेतु आवेदनों की संख्या बढ़ रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु सीट सीमित रहने के कारण जिला के सैकड़ों छात्र-छात्रा नामांकन से वंचित रह जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बेगूसराय जिला के महाविद्यालयों में स्नातक नामांकन में सीट वृद्धि करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यो ?

विद्यालय का भवन निर्माण

*39. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)-क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड रफीगंज के पंचायत गोरडीहा के ग्राम गैबाल विगहा स्थित प्राथमिक विद्यालय का भवन नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय के नाम से 11 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री किया हुआ है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा चंदा इक्ट्ठा कर करकट/शेड देकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय का निर्माण

*40. श्री शम्भु नाथ यादव (क्षेत्र संख्या-199 ब्रहमपुर)-क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के ब्रम्हपुर प्रखण्ड के छोटकी नैनीजोर दलित टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय को भूमि के अभाव में मध्य विद्यालय छोटकी नैनीजोर में स्थानांतरित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर प्राथमिक विद्यालय निर्माण करने हेतु श्रीमती जानकी देवी, पति-स्व, लाल साहेब, उम्र-70 वर्ष ने अंचलाधिकारी, ब्रम्हपुर को खाता सं0-209, खेसरा सं0-3512 रकबा-3.00 कट्ठा जमीन दान दिया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम महादलित एवं पिछड़ा बहुल है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय दूर होने से गरीब बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार छोटकी नैनीजोर दलित टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय को उक्त जमीन पर निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

साइंस पार्क-सह-तारामंडल का निर्माण

*41. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ में साइंस पार्क-सह-तारामंडल का निर्माण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है एवं इसके निर्माण हेतु भूमि का स्थलीय निरीक्षण भी किया जा चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि साइंस पार्क-सह-तारामंडल के निर्माण नहीं होने से पूर्णियाँ तथा आसपास के जिलों के छात्रों को खगौल विज्ञान समझने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पूर्णियाँ में साइंस पार्क-सह-तारामंडल का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नगर उद्यान का निर्माण

*42. श्री मिथिलेश कुमार (क्षेत्र संख्या-28 सीतामढ़ी)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी नगर निगम में नगर उद्यान का निर्माण नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित जनसंख्या घनत्व के अनुरूप अबतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नगर निगम क्षेत्र में जनसंख्या के अनुरूप नगर उद्यान का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई

*43. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2023 में ही दो सहायक प्राध्यापक डॉ० कुमार वरूण एवं डॉ० रूचि त्रिपाठी को दिये गये वेतन संरक्षण लाभ के सत्यापन हेतु प्रस्ताव शिक्षा विभाग के वेतन सत्यापन कोषांग में एकसाथ भेजी गयी थी परंतु समरूप मामले में कोषांग द्वारा डॉ० रूचि त्रिपाठी के वेतन संरक्षण लाभ को सत्यापित कर दिया गया और डॉ कुमार वरूण के मामले को उच्च शिक्षा निदेशालय में परामर्श हेतु भेजा गया;

(2) क्या यह बात सही है कि डॉ० कुमार के मामले पर शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त करने के बाद भी अबतक उनके वेतन संरक्षण लाभ का सत्यापन नहीं किया गया है, जबकि दो समरूप मामले में एक को निष्पादित किया जाना और दूसरे को लंबित रखा जाना विभाग में व्याप्त अनियमितता को दर्शाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त मामले के सत्यापन में विलंब के लिए दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई के साथ वेतन संरक्षण लाभ का सत्यापन करना चाहती नहीं, तो, क्यों ?

महिला कॉलेज का निर्माण कराना

*44. श्री सूर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अन्तर्गत बखरी विधान सभा क्षेत्र में महिला महाविद्यालय नहीं है जिससे छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में महिला कॉलेज का निर्माण कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*45. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ प्रखंड के गुनेरी पंचायत अन्तर्गत ग्राम-केन्दुआ में प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर रहने के कारण विद्यार्थियों का सामुदायिक भवन में पठन-पाठन का कार्य होता है, जिससे शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*46. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत गोह प्रखंड मुख्यालय स्थित गांधी खेल मैदान में जल-जमाव के कारण बच्चों को खेलने में बाधा उत्पन्न होती है और बाउंड्री गिर जाने से आवारा जानवर घूमते रहते है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त खेल मैदान में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

बस सेवा शुरू करना

*47. श्री चेतन आनंद (क्षेत्र संख्या-22 शिवहर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिला के शिवहर से सीतामढ़ी तथा शिवहर से मोतिहारी सरकारी बस सेवा बंद है जिससे आमजनता को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सरकारी बस सेवा को शुरू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रसोई घर की मरम्मती कराना

*48. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 26 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित ''सूबे में 36 हजार से अधिक स्कूलों के रसोईघर क्षतिग्रस्त'' शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा में 1727, सारण में 1665, भोजपुर में 1120, पूर्वी चम्पारण में 1498, मुजफ्फरपुर में 777, गया में 2205 सहित राज्य के अन्य जिलों में 36 हजार 223 स्कूलों के रसोई घर क्षतिग्रस्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जिलों सहित अन्य जिलों में रसोई घर क्षतिगस्त होने के कारण मध्याहन भोजन सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, साथ ही रसोई घर जर्जर होने के कारण बरामदे पर खाना बनाया जा रहा है, जिसके कारण स्कूलों के बच्चों के साथ दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जिलों के विद्यालयों में क्षतिग्रस्त रसोई घर की मरम्मती कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल लगाने पर विचार करना

*49. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सोन नदी से भारी मात्रा में बालू निकाले जाने से सोन नदी के तटीय क्षेत्र के दर्जनों गांव में जलस्तर नीचे जाने से पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि खान एवं भूतत्व नियमावली के तहत जिला मिनरल फंड के तहत आम नागारिकों के लोक कल्याणकारी कार्य करने का प्रावधान है:

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कलेर प्रखंड के सोहसा, कामता ,सहाय बीधा, लक्ष्मणपुर बाथे, अरवल प्रखंड के सुमेरा, मखदूमाबाद, अमरा, पिपरा-बंगला, कागजी मोहल्ला एवं शाही मुहल्ला ,दूना छपरा , प्रसादी इँग्लिश समेत दर्जनों गांव में पेयजल उपलब्धाता सुनिश्चित करने के लिए जिला मिनरल फंड के तहत चापाकल लगाने पर विचार रखती है: नही तो क्यों ?

प्रोन्नति देना

*50. श्रीमती निशा सिंह(क्षेत्र -66 प्राणपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, याग बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 1994,1999,2000 बैच के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों को कटिहार जिला में प्रोन्नति से वंचित रखा गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC No.15610/2018 (राधावेंद्र शर्मा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार) में पारित न्यायदेश के आलोक में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के ज्ञापांक 218 / 27.02 /2023द्वारा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों को बेगूसराय, रोहतास, वैशाली, जमुई, जहानाबाद आदि जिलों में प्रोन्नति दी गई:

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कटिहार जिला के 1984, 1999,2000 बैच के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों को प्रोन्नति देने का विचार राखती है,नहीं तो क्यों?

पठन-पाठन का प्रारंभ

*51. श्री राजवंशी महतो (क्षेत्र -141 चेरिया बरियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में 540 बुनियादी विद्यालय (बेसिक स्कूल था, जिसमें 100 विद्यालय झारखंड में चले जाने के कारण 440 विद्यालय बिहार में बचे ह;

(2) क्या यह बात सही है कि बेगुसराय में 5 बुनियादी विद्यालय बेसिक स्कूल हैं जिसमें सरकार द्वारा 2 विद्यालय को मॉडल विद्यालय बनाया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि बुनियादी स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने में करोड़ों रूपए खर्च हुआ तथा करोड़ो रू0 का उपस्कर भी लग हुआ है जो अभी तक वैसे ही पड़ा है, उसका उपयोग नहीं होता है;

(4)यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार परिवर्तित मॉडल स्कूल में पठन-पाठन कबतक प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

एस0जी0एफ0आई0नेशनल गेम्स में भाग लेने हेतु

*52. श्री राम रतन सिंह(क्षेत्र -143 तेघाडा)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा तिरंदाजी (इंडियन राउण्ड एवं रिकर्व) के खिलाडियों को स्कूल गेम्स फडरेशन आफ इंडिया (एसजीएफआइ) द्वारा आयोजित 68वीं नेशनल तिरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेने नाडियाड (गुजराज) भेजा जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अतिमहत्वपूर्ण प्रतियोगिता में राज्य के तिरंदाजी (कम्पाउण्ड) के बालक -बालिका खिलाड़ियों को भाग लेने से वंचित किया जा रहा है, जिसके कारण राज्य के प्रतिभावन तिरंदाजी (कम्पाउण्ड) के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन का अवसर नहीं मिल पा रहा है;

(3)यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार तिरंदाजी (कम्पाउण्ड) के खिलाड़ियों को एस0जी0एफ0आई0नेशनल गेम्स में भाग लेने हेतु भेजने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

स्टेडियम का निर्माण

53. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र 149-खगड़िया)-क्या मंत्री, कला संस्कृति एवं युवा विभाग , यह बतलाने की कृपा करेंगे कि- (1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया ज्लिान्तर्गत खगड़िया प्रखंड के मार्डर दक्षिणी पंचायत अन्तर्गत रण खेत के मैदान में स्टेडियम नहीं होने से वहाँ के छात्र/छात्राएं खेल में पिछड़ रहे है : यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त वर्णित स्थान पर स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

स्टेडियम का निर्माण

54. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र 219- गोह)-क्या मंत्री, खेल विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत हसपुरा प्रखंड के जैतपुर पंचायत के पथरौल हाई स्कूल का खेल मैदान तथा रफीगंज प्रखंड के सीहुली पंचायत के ग्राम चंदौल में स्थित खेल मैदान स्टेडियम निर्माण के लिए सभी मानकों को पूरा करता है; यदि हा तो सरकार उक्त स्थान पर स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

स्टीमर का परिचालन

*55. श्री राज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के मटिहानी विधान सभा स्थित शाम्हो प्रखंड जो जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलो मीटर की दूरी पर है के अन्तर्गत एस0एस0बी0-1, एस0एस0बी0-2 एवं अकबरपुर बरारी पंचायतों की लगभग एक लाख की आबादी गंगा नदी के किनारे पर बसी हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड के निवासियों एवं छात्र-छात्राओं को जिला मुख्यालय जाने के लिये गंगा नदी पार करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मटिहानी और शाम्हो के बीच गंगा नदी में दो स्टीमर का परिचालन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण कराना

*56. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के परबत्ता प्रखंड के उच्च विद्यालय, कन्हैयाचक और गोगरी प्रखंड के भगवान उच्च विद्यालय में स्टेडियम निर्माण का कार्य विगत तीन वर्षों से अधूरा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इसके पूर्व भी मेरे द्वारा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री और निदेशक खेल विभाग को पत्र लिखने के बावजूद भी इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है ;

(3) क्या यह बात सही है कि स्टेडियम निर्माण अधूरा रहने से प्रतिभावान खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा कुंठित हो रही है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक दोनों स्थानों पर स्टेडियम निर्माण का कार्य पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मध्य विद्यालय का उत्क्रमण

*57. श्री प्रहलाद यादव (क्षेत्र संख्या-167 सूर्यगढ़ा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत सूर्यगढ़ा प्रखंड के खुटुकपार पंचायत के खुटुकपार गाँव में मध्य विद्यालय जो वर्षों से चल रहा है, उच्च विद्यालय के लिये सभी मानक को पूरा करता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राएँ विशेषकर लड़कियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मध्य विद्यालय, खुटुकपार को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय को मॉडर्न विद्यालय में परिवर्तित करना

*58. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड नीमचक बथानी के ग्राम पंचायत, तेलारी में बहुत पुराना गुलाबचन्द उच्च विद्यालय है जिसमें बच्चों की बहुत भारी संख्या में पठन-पाठन का कार्य किया जा रहा है, लेकिन मॉडर्न विद्यालय नहीं रहने के कारण इस आधुनिक युग में बच्चों का पठन-पाठन अधूरा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को मॉडर्न विद्यालय में परिवर्तित कर बच्चों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करना

*59. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तगत विभूतिपुर प्रखंड के पंचायत सिंघिया उत्तर में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सलखन्नी, पंचायत भरपुरा पटपारा में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पटपारा उत्तर एवं विभूतिपुर उत्तर पंचायत में राजकीय मध्य विद्यालय, खोकसाहा संचालित है, जबकि एक भी उच्च विद्यालय संचालित नहीं है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिये 6 से 8 किलो मीटर दूर जाना पड़ता है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय स्थापित कराना

*60. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड में नगर पंचायत, रानीगंज के वार्ड नवम्बर 16 तथा 17 में एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है जिससे छोटे-छोटे बच्चों को 2 किलो मीटर दूर स्थित दूसरे वार्डों के प्राथमिक विद्यालय में जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों वार्डों में एक-एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कार्य कराना

*61. श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या-4 बगहा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत अनुमंडल बगहा के सिंघाडी पिपरिया पंचायत में अवस्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पिपरिया को अपग्रेड कर वर्ष 2020 में उच्च माध्यमिक विद्यालय में परिणत कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि परिणत उच्च माध्यमिक विद्यालय पूर्व के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के भवन में ही संचालित किया जा रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि इस विद्यालय में वर्ष 2024-25 में कुल छात्र/छात्राओं की संख्या 1050 (एक हजार पचास) है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालय में छात्रों की संख्या को देखते हुए उनके उत्तरोत्तर विकास के लिए अतिरिक्त क्लास रूम/भवन/लाईब्रेरी/कम्प्यूटर क्लास रूम का निर्माण कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*62. श्री अवध बिहारी चौधरी (क्षेत्र संख्या-105 सिवान)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के सिवान प्रखण्ड के नथुछाप पंचायत में ग्राम-महम्पुर के प्राथमिक विद्यालय एवं सरसर पंचायत के ग्राम-भरौली में नया प्राथमिक विद्यालय सहित अन्य 05 प्राथमिक विद्यालय भवनहीन है, प्रश्नकर्ता सदस्य ने दो वर्ष पूर्व उक्त विद्यालय भवन निर्माण हेतु अनुशंसित कर निदेशक, शिक्षा परियोजना, पटना को भेजा था लेकिन आजतक भवन निर्माण नहीं किया गया है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार उक्त अनुशंसित भवनहीन प्राथमिक विद्यालयों का भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रिजल्ट का प्रकाशन

*63. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलांतर्गत तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एम0 एड0 सत्र 2021-23 के फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा पांच माह पूर्व ली गयी परंतु आजतक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है जिसके कारण शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं के लिये परीक्षार्थी अर्हता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपर्युक्त एम0 एड0 के फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट प्रकाशित करने का विचार रखती है ?

शिक्षा पदाधिकारी का पदस्थापना

*64. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी का पद वर्षों से रिक्त होने के कारण जिला में पठन-पाठन के कार्यों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी की पदस्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधार कार्ड बनाने की रफ्तार बढ़ाना

*65. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--हिन्दी समाचार-पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 के अंक में प्रकाशित खबर के शीर्षक ''आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधार कार्ड बनाने की रफ्तार धीमी'' के आलोक में क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 0 से 5 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड बनाये जाने का निर्देश दिया गया है, परन्तु पूर्वी चम्पारण सहित राज्य के कई जिलों में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आधार कार्ड बनाये जाने की शुरूआत भी नहीं हो पाई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में 0 से 5 साल तक के बच्चों की अनुमानित संख्या 1.53 करोड़ है जिसमें अबतक 2.67 लाख बच्चों का ही आधार कार्ड बन पाया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अभियान चलाकर राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधार कार्ड बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*66. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के बारसोई प्रखंड मुख्यालय जो अनुमंडल मुख्यालय भी है, में खेल का एकमात्र सद्भावना मैदान में स्टेडियम का अबतक निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार सद्भावना मैदान में स्टेडियम का निर्माण कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

सत्यचंडी महोत्सव को सांस्कृतिक कैलेंडर में शामिल करना

*67. श्री आनन्द शंकर सिंह (क्षेत्र संख्या-223 औरंगाबाद) क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के औरंगाबाद सदर प्रखण्ड अन्तर्गत औरंगाबाद, वाराणसी एन०एच०139 से लगभग 3 किलोमीटर दूर अवस्थित रायपुरा ग्राम के निकट माँ सत्यचंडी धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल पर मनाये जाने वाले वार्षिक सत्यचंडी महोत्सव विभाग के सांस्कृतिक कैलेंडर" में शामिल नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद में वार्षिक रूप से मनाये जाने वाले सत्यचंडी महोत्सव को कोई सरकारी आर्थिक सहायता नहीं मिलती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सत्यचंडी महोत्सव को सांस्कृतिक कैलेंडर में शामिल करते हुये आर्थिक मदद प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्काउट गाईड दल का गठन

*68. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियां)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 2 सितम्बर, 2024 को प्रकाशित शीर्षक "सभी सरकारी स्कूलों में होंगे स्काउट गाईड दल" के आलोक में शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग की ओर से सभी शिक्षा पदाधिकारी को स्काउट गाईड गठन हेतु पत्र जारी कर दिया गया है परंतु अभीतक पूर्णियां सहित राज्य के किसी भी जिले में इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में स्काउट गाईड दल का गठन कराने तथा विभागीय आदेश की अनदेखी करने वाले दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कक्ष का निर्माण

*69. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)-- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड अन्तर्गत उ०मा०वि०, गौसपुर सरसौना तथा उ०मा०वि०, माधोपुर दिघरूआ में मानक के अनुरूप वर्ग कक्ष नहीं रहने के कारण छात्र छात्राओं को पठन पाठन में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों में मानक के अनुरूप वर्ग कक्ष का निर्माण कराने तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आँगनबाड़ी यूनिट स्थापित कराना

*70. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखण्ड अतरी के ग्राम-पंचायत सहोड़ा के ग्राम-हुसैना बिगहा में आजतक आँगनबाड़ी केन्द्र का यूनिट नहीं बनाया गया है जबकि 400 से 800 की आबादी वाले गाँव में यूनिट स्थापित करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम में लगभग 600 जनसंख्या के बावजूद आँगनबाड़ी केन्द्र नहीं रहने के कारण बच्चे लोग आँगनबाड़ी केन्द्र का पोषाहार नहीं प्राप्त कर रहे हैं तथा कुपोषण के शिकार हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त ग्राम में आँगनबाड़ी केन्द्र का यूनिट स्थापित कर केन्द्र संचालन करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*71. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत काको प्रखंड के उत्तर सेरथू पंचायत को नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, बर बिगहा तथा मोदनगंज प्रखंड अन्तर्गत बिसुनपुर-ओकरी पंचायत के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, बिसु बिगहा को भवन के अभाव में पहले पड़ोस के विद्यालय में टैग किया गया था, जिसे अब मर्ज कर दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों विद्यालयों का मर्ज समाप्त करने तथा दोनों ही जगह भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महोत्सव का आयोजन

*72. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत महर्षि वाल्मिकी महोत्सव तथा नंदन गढ़ महोत्सव का आयोजन पिछले 8 वर्षों से नहीं मनाया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रत्येक वर्ष महोत्सव हेतु सरकारी राशि आवंटन के बावजूद भी जिलाधिकारी की उदासीनता के कारण उक्त दोनों महोत्सव बाधित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में सरकारी राशि आवंटित कर उक्त दोनों महोत्सव आयोजित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कमरा और शौचालय का निर्माण कराना

*73. श्री उमाकांत सिंह (क्षेत्र संख्या-7 चनपटिया)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिलान्तर्गत मंझौलिया प्रखंड के सरिसवा में खेल मैदान की स्थिति जर्जर है एवं खिलाड़ियों के लिये कोई कमरा या शौचालय नहीं होने के कारण कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सरिसवा खेल मैदान का जीर्णोद्धार एवं कमरा और शौचालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

इंडोर स्टेडियम का पुनर्निर्माण

*74. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर प्रखंड के उच्च विद्यालय, जयनगर के खेल मैदान के निकट ग्यारह वर्ष पूर्व इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया था, जो जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हो गया है जिस कारण खिलाड़ियों में खेल का विकास बाधित हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त क्षतिग्रस्त इंडोर स्टेडियम का पुनर्निर्माण कराकर खिलाड़ियों को खेल की सुविधा बहाल कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*75. श्रीमती मंजू अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के शेरघाटी प्रखंड के श्रीरामपुर पंचायत अंतर्गत मध्य विद्यालय, बन्दोहरी में केवल 2 ही वर्ग कक्ष हैं, जिसमें कक्षा एक से कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों का पठन-पाठन का कार्य किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2006-07 में विद्यालय के भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि निर्गत करने के बावजूद अतिरिक्त चार वर्ग कक्ष का केवल ढलाई लेवल तक का कार्य कर अपूर्ण छोड़ दिया गया है और तत्कालीन प्राचार्य के निधन के पश्चात् 3,01,312/रु० की राशि विभागीय आदेशानुसार दिनांक 24 जून, 2021 को BEP SAMGRA SHIKSHA GC CAPITAL HEAD, GAYA को वापस कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के अधूरे भवन को पूर्ण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अंक पत्र अविलंब जारी करना

*76. श्री अख्तरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB द्वारा वर्ष 2024 का मैट्रिक परीक्षा का परिणाम 31 मार्च, 2024 को घोषित हुआ था ;

(2) क्या यह बात सही है कि साढ़े तीन माह से अधिक का समय गुजरने के बाद भी छात्र-छात्राओं को मैट्रिक का अंक पत्र (MARK SHEET) 20 जुलाई तक विद्यालय द्वारा उनको प्राप्त नहीं हुआ था जिस कारण छात्र-छात्राओं को बिहार से बाहर +2 एवं डिप्लोमा में नामांकन में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इतना विलंब से अंक पत्र जारी करने का क्या औचित्य है, साथ ही क्या सरकार परीक्षा तंत्र में सुधार करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस परिचालन कराना

*77. श्री राजवंशी महतो (क्षेत्र संख्या-141 चेरिया बरियारपुर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के चेरिया बरियारपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड छौड़ाही, खोदावंदपुर, चेरिया बरियारपुर पड़ता है, जिनमें किसी भी वर्णित प्रखंड मुख्यालय से पटना तक एक भी सरकारी बस की सुविधा बहाल नहीं होने के कारण, ग्रामीण जनता को काफी कठिनाई होती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चेरिया बरियारपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड छौड़ाही, प्रखंड खोदावंदपुर तथा चेरिया बरियारपुर से पटना तक बस चलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज की स्थापना

*78. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण गरीब एवं किसान परिवार के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और पढ़ाई छोड़ना पड़ता है, क्योंकि प्रखंड से लगभग 50 कि०मी० दूर किशनगंज मुख्यालय में डिग्री कॉलेज स्थापित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय का निर्माण

*79. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत पालीगंज प्रखंड के चिक्सी पंचायत के मोहन बिगहा और चिरैयाटार गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गांवों में विद्यालय नहीं होने के कारण छोटे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिये भी एक किलोमीटर से अधिक दूरी तय करके अन्य गांवों में शिक्षा प्राप्त करने जाना पड़ता है, जिससे उनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पालीगंज प्रखंड के चिक्सी पंचायत के मोहन बिगहा और चिरैयाटार गांव में कबतक प्राथमिक विद्यालय बनाने का बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जिला का प्रभार देना

*80. श्री आनन्द शंकर सिंह (क्षेत्र संख्या-223 औरंगाबाद)- क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रदेश में 19 पुराने एवं 78 नवनियुक्त (सेवा सम्पुष्ट और सम्पूर्ण प्रशिक्षित) कुल 97 मोटरयान निरीक्षकों के होते हुये भी एक मोटरयान निरीक्षक को एक से अधिक जिलों का प्रभार दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि महालेखाकार को प्रेषित और मंत्री परिषद् से स्वीकृत पत्रांक 8928, दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 में कर्णांकित मोटरयान निरीक्षक के पदों के लिये जिलावार पद स्वीकृत है एवं उसी के अनुरुप कार्य भी आवंटित किया जाना है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उतर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार एक मोटरयान निरीक्षक को मात्र एक ही जिला का प्रभार देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मानदेय वृद्धि करना

*81. श्री राम विशुन सिंह (क्षेत्र संख्या-197 जगदीशपुर)- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक 10+2 विद्यालयों में रात्रि प्रहरी को मात्र 5000 रुपये मानदेय पर रखा गया है, जिससे उनके परिवार का भरण-पोषण सही तरीके से नहीं हो पाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार रात्रि प्रहरी के मानदेय में वृद्धि करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज का निर्माण

*82. श्री युसुफ सलाहउद्दीन (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बख्तियारपुर)- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के नगर परिषद् क्षेत्र सिमरी बख्तियारपुर अंतर्गत भौरा में बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए अभी तक निविदा का निष्पादन नहीं किया जा सका है, जिस कारण डिग्री कॉलेज के निर्माण में काफी विलंब हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक निविदा का निष्पादन कर डिग्री कॉलेज के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार का कार्य

*83. श्री दामोदर रावत (क्षेत्र संख्या-242 झाझा)- क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई जिला अन्तर्गत गिद्धौर शहर में अवस्थित ऐतिहासिक धरोहर लार्ड मिण्टो टावर बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 30 दिनांक 06 नवम्बर, 2014 द्वारा संरक्षित स्थल घोषित है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ऐतिहासिक धरोहर का समुचित रख-रखाव नहीं होने से दिनोदिन स्थिति दयनीय हो रही है ;

(3) क्या यह बात सही है कि लार्ड मिण्टो टावर के जीर्णोद्धार के लिए अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग द्वारा ज्ञापांक 3621 (भ), पटना, दिनांक 08 मई, 2023 को तकनीकी रूप से अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पत्र सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, को भेजा गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उतर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक उक्त प्राक्कलन की स्वीकृति देकर गिद्धौर स्थित लार्ड मिण्टो टावर का जीर्णोद्धार कार्य कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

देवराहा बाबा कॉलेज को डिग्री कॉलेज की मान्यता

*84. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखण्ड के किरकिचिया पंचायत अवस्थित (BDBKSC) देवराहा बाबा कॉलेज में पूर्व में डिग्री (स्नातक) की पढ़ाई होती थी, जो अब बंद है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कॉलेज में 07.25 एकड़ जमीन एवं भवन की समुचित व्यवस्था रहने के बावजूद डिग्री (स्नातक) की पढ़ाई न होकर केवल इंटर की पढ़ाई हो रही है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कई छात्र-छात्राएं नामांकन से वंचित रह जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक देवराहा बाबा कॉलेज को डिग्री कॉलेज की मान्यता प्रदान कर स्नातक की पढ़ाई प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रसोई शेड और शौचालय बनवाना

*85. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखण्ड अन्तर्गत जंगलाटाल पंचायत वार्ड संख्या-01 में प्राथमिक विद्यालय, बगुलागढ़ में रसोई शेड और शौचालय नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में रसोई शेड और शौचालय बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त भवन निर्माण कराना

*86. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनिया (अ०जा०))- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत मोहनिया प्रखण्ड के पंचायत उसरी के ग्राम पिपरिया में उच्च विद्यालय स्थापित है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में कक्षा 01 से 08 तक की पढ़ाई हेतु मात्र तीन कमरा है, जिससे छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का अतिरिक्त भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*87. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सन्हौला प्रखंड के राजकीय बुनियादी विद्यालय, भुड़िया एवं प्राथमिक विद्यालय, फाजिलपुर परिसर की चहारदीवारी से घेराबंदी नहीं रहने के कारण आवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों का आना-जाना लगा रहता है, जिससे विद्यार्थियों को पठन-पाठन में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों विद्यालयों के परिसर की घेराबंदी हेतु चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय खोलना

*88. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)-क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जाति छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित की जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस योजना का मूल उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को आवासन के साथ शिक्षा प्रदान करने की है ;

(3) क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के प्रखण्ड गोरेयाकोठी एवं प्रखण्ड लकड़ी नवीगंज में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय नहीं रहने के कारण उक्त जाति के छात्र/छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*89. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)-क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड अन्तर्गत मधौलखानी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय, मधौल एवं प्राथमिक विद्यालय मधौल, कन्या का भवन जर्जर है जिससे छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो, सरकार कबतक उक्त प्रा0वि0 में नया भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

हाई स्कूल को अपग्रेड करके डिग्री कॉलेज में परिवर्तित करना

*90. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ०जा०))-क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला अंतर्गत फुलवारीशरीफ की आबादी लगभग 3 लाख के आस-पास हो गया है, पढ़ने वाले युवा-युवती की संख्या सैकड़ों में है, जिन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए फुलवारीशरीफ से बाहर जाना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि फुलवारीशरीफ में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 10+2 हाई स्कूल फुलवारीशरीफ को अपग्रेड करके डिग्री कॉलेज के रूप में परिवर्तित करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वेतन विसंगति दूर करना

*91. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)-क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि उप-सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा बिहार गजट (असाधारण अंक) में प्रकाशित संख्या-973, दिनांक 30 नवम्बर, 2021 के बिंदु-7 (iii) में यह प्रकाशित किया गया है कि यदि किसी शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष का मूल वेतन अपने से कनीय शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष से कम निर्धारित हो, तो उनका मूल वेतन कनीय शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा परन्तु पटना एवं कुछ अन्य जिलों में अभीतक सेवा पूर्व प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर

नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय की स्थापना

*92. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ०जा०))-क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला से पीरपैंती विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति की संख्या सर्वाधिक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पीरपैंती विधान सभा अंतर्गत अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय नहीं रहने के कारण अनुसूचित जाति के मेधावी एवं गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पीरपैंती विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का स्थापना कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बालू खनन् की स्वीकृति रद्द करना

*93. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)-क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बात बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत मैनाटाड़ प्रखंड वर्मा पंचायत के सेरवहाँ गाँव के पास विरहा, कौरेना नदी से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बालू खनन् की स्वीकृति दी गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 2020 में उपर्युक्त गाँव सेरहवा के पास विरहा, कौरेना नदी में बालू खनन् के कारण फैले बाढ़ से 21 घर, 33 किसानों की 25 एकड़ जमीन और बरवा सहनौला आर०डब्लू०डी० सड़क कट गई थी, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी सड़क को बचाने के लिए कटाव रोधी कार्य करना पड़ा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सेरहवा गाँव के पास विरहा, कौरेना नदी के कटाव से खेती-बाड़ी गाँव, घर और सड़क को बचाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बालू खनन् की स्वीकृति के आदेश को रद्द करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थाई निबंधन देना

*94. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)-क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि टी०एम०बीयू० भागलपुर अंतर्गत ए०के० गोपालन कॉलेज, सुलतानगंज एवं मो०ना०महा०, अम्बा शाहकुंड को अभीतक स्नातक प्रतिष्ठा (कला एवं विज्ञान) में स्थाई निबंधन अप्राप्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों महाविद्यालय ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र में स्थित है तथा इसमें अध्ययन करने वाले अधिकांश छात्र-छात्राएँ आर्थिक रूप से कमजोर की श्रेणी में आते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त महाविद्यालयों को कला एवं विज्ञान में स्नातक प्रतिष्ठा स्तर का स्थाई निबंधन देना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई करना

*95. श्री अशोक कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-92 सकरा (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत प्रा०वि०, विशनपुर पकड़ी, फुलवारीशरीफ के भवन, शौचालय के रिपेयर, रंगरोगन आदि कार्य हेतु क्रमशः 4,99,800/- एवं 4,95,800/-रु० तथा इलेक्ट्रिफिकेशन हेतु 1,50,000/- की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-24 में दी गयी है;

(2) क्या यह बात सही है कि सितम्बर-अक्टूबर, 2024 तक कराये गये कार्य में नन ब्रांडेड पंखा, (तुफान), लोकल स्वीच आदि लगाकर मात्र एक कोट रंगरोगन का कार्य किया गया है, वहीं शौचालय, वास बेसिन, परिसर में मिट्टी भराई आदि कार्य अभीतक शुरू भी नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालय के जीर्णोद्धार हेतु शेष अधूरे कार्य को पूर्ण कराते हुए दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्र-शिक्षक अनुपात की विसंगति दूर करना

*96. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला सहित प्रदेश में लगभग 75 हजार प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालय हैं, जहाँ एक करोड़ 72 लाख से ज्यादा छात्र, छात्र-शिक्षक की अनुपातिक विसंगति के साथ पढ़ते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 35:1, के स्थान पर क्रमशः 55:1 और 38:1 है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात की विसंगतियों को दूर करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारी पर करवाई

*97. श्री मिश्री लाल यादव (क्षेत्र संख्या-81 अलीनगर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखण्ड के सी०डी०पी०ओ० प्रखण्ड कार्यालय में रहकर कार्य का निष्पादन नहीं कर रहे हैं जिससे सुदूर गाँव में अवस्थित केन्द्रों के सेविका/सहायिका को पोषाहार के लिए कार्यालय का चक्करं लगाना पर रहा है, यदि हाँ, तो सरकार जाँच कर दोषी पदाधिकारी पर कबतक कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय के जर्जर भवन का निर्माण

*98. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे क्या यह बात सही है कि सारण जिला के दिघवारा प्रखंड के झौवा पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय, झौवा एवं सोनपुर प्रखंड के सबलपुर पूर्वी पंचायत स्थित कन्या विद्यालय, हस्ती टोला का भवन जर्जर अवस्था में है, जिससे छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित विद्यालयों के जर्जर भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का भवन निर्माण

*99. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत ओबरा प्रखंड स्थित डिहरा पंचायत अन्तर्गत ग्राम-नवनेर में राजकीयकृत उच्च विद्यालय का भवन जर्जर है जिस कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सिंथैटिक ट्रैक निर्माण

*100. श्री मिथिलेश कुमार (क्षेत्र संख्या-28 सीतामढ़ी)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के डुमरा में अवस्थित जानकी स्टेडियम मैदान में जिला स्तरीय एथलेटिक कार्यक्रम हेतु वर्ष 2005 में सिंथैटिक ट्रैक निर्माण का कार्य नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार सिंथैटिक ट्रैक निर्माण कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विधि महाविद्यालय का निर्माण

*101. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के जिला स्तर पर विधि महाविद्यालय का निर्माण कार्य कराने हेतु प्रस्तावित है;

(2) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत विधि महाविद्यालय का निर्माण कार्य अभीतक नहीं कराया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त जिला में विधि महाविद्यालय नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु दूर-दराज एवं अन्य लॉ कॉलेजों में जाना पड़ता है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों को उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किशनगंज जिला में विधि महाविद्यालय का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार करना

*102. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन) क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के फेनहारा प्रखंड अन्तर्गत आदर्श मध्य विद्यालय जहां स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गाँधी जी आये थे, गाँधी सर्किट से भी जुड़ा हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय को शिक्षा विभाग तोड़ना चाहती है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय का पुराना भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है ;

(4) क्या उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गाँधी सर्किट से जुड़े उक्त विद्यालय के जर्जर भवन को न तोड़कर उसका जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय खोलना

*103. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा) क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के तेतरिया प्रखंड अंतर्गत कोठिया पंचायत के भगवानपुर में सरकारी विद्यालय नहीं होने से इस गाँव के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए 3 से 4 कि0मी0 दूर घेघवा और सिरौली जाना पड़ता है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गांव से पर्याप्त सरकारी जमीन भी उपलब्ध है जिसपर विद्यालय का निर्माण कराया जा सकता है;

(3) यदि उपयुर्क्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गांव में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*104. श्री उमाकंत सिंह (क्षेत्र संख्या-7 चनपटिया) क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत चनपटिया प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय, लखौरा, उच्च माध्यमिक विद्यालय, अवरैया एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेतिया, डीह के भवन निमार्ण का निविदा 6 माह पूर्व निकला है, लेकिन अभीतक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त तीनों विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यो ?

विद्यालय का विकल्प चुनना

*105. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116-तरैया) क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग, के द्वारा पूरे राज्य में प्रत्येक पंचायत स्थित +2

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ही पंचायत के छात्र-छात्राओं का नामांकन बाध्य किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के पानापुर प्रखंड के चकिया एवं ईसुआपुर प्रखंड के अगोथर सुन्दर पंचायत सहित राज्य के सैकड़ों पंचायतों के छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के लिये 05 कि0मी0 से भी अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण उनको कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पंचायतों में स्थित सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नामांकन की बाध्यता समाप्त कर उन्हें विद्यालय का विकल्प चुनने का अवसर देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का मरम्मती

*106. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर) क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला मुख्यालय स्थित RD & DJ कॉलेज स्थित पी0जी0 छात्रावास जर्जर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त छात्रावास का मरम्मती कर विद्यार्थियों को रहने की सुविधा देने का विचार रखती है नहीं तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*107. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल) क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अरवल जिला अंतर्गत अरवल प्रखंड के भूसुड़ा गांव में प्राथमिक विद्यालय को तीन साल के दौरान प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय +2 उच्च विद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया है और +2 तक के छात्रों के लिए प्राथमिक विद्यालय का बना महज दो तीन कमरों में ही पढ़ाई हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि छात्रों की पढ़ाई भवन के अभाव में प्रभावित हो रहे हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि विद्यालय के लिए भवन बनाने हेतु पंचायत सभा में चयनित जमीन जिसका खाता-120, प्लॉट-157 मौजा-भूसुड़ा, थाना नम्बर-17 होने के बावजूद विद्यालय का भवन निर्माण नहीं हो पा रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो, क्या सरकार भूसुडा गांव में विद्यालय के लिए प्रस्तावित जमीन पर विद्यालय का भवन निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*108. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज) क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि टी पी वर्मा कॉलेज नरकटियागंज, पश्चिमी चंपारण में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्व एवं भू-माफियाओं द्वारा कॉलेज के खाली जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कॉलेज में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्व का जमावड़ा लगा रहता है जिससे यहाँ पढ़ने वाले छात्र-छात्राएँ भयभीत रहते है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार टी0, पी0, कॉलेज, नरकटियागंज को अतिक्रमणमुक्त कराकर चहारदीवारी निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डोमिसाईल नीति लागू कराना

*109. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में डोमिसाईल नीति लागू ना होने से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या शिक्षक बहाली में तुलनात्मक अधिक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिक्षक बहाली में डोमिसाईल नीति लागू ना होने से राज्य के युवाओं को रोजगार में जो अवसर मिलना था वो उनको ना मिलकर बाहर के राज्य के युवाओं को मिल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो शिक्षक बहाली में डोमिसाईल नीति लागू ना करने का क्या औचित्य है ?

स्टेडियम का निर्माण

*110. श्री बीरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-139 रोसड़ा (अ0जा0))--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत शिवाजी नगर प्रखंड के मजरहिया गाँव में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2023-24 में हो चुका है, परन्तु अभीतक स्टेडियम का निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*111. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अन्तर्गत रायपुर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय, कुशाहा के परिसर में चार महीना पानी भरा रहता है जिससे बच्चे या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या जो बच्चे विद्यालय जाते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त परिसर में दो भवन बिल्कुल ही जर्जर है तथा कमरे छात्रानुपात में नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में जल निकासी के साथ भवन निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रायोगिक परीक्षा का मखौल

*112. डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 7 मार्च, 2024 को प्रकाशित शीर्षक ''प्रयोगशाला की बजाय कॉपियों पर ली जा रही परीक्षा'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जयप्रकाश विश्व विद्यालय में स्नातक सत्र 2022-25 प्रथम वर्ष की प्रयोगशाला की परीक्षा में अधिकत्तर कॉलेजों में प्रयोगशाला की बजाय कॉपियों पर ही प्रैक्टिकल की परीक्षा ली जा रही है और परीक्षार्थी बिना प्रायोगिक परीक्षा दिये ही सर्वाधिक अंक से पास हो रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विश्वविद्यालय के अधिकांश कॉलेजों में पुराने प्रैक्टिकल उपकरण होने तथा वर्षों से केमिकल इत्यादि की खरीदारी नहीं होने के कारण प्रयोगशाला की परीक्षा कॉपियों पर ही ली जाती रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त विश्वविद्यालय में प्रायोगिक परीक्षा का मखौल बनाये जाने तथा छात्रों को प्रायोगिक लैब ज्ञान से दूर रखने का क्या औचित्य है ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*113. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण मुंगेर जिला के बरियारपुर प्रखंड के छात्र-छात्राओं को कॉलेज की पढ़ाई करने के लिये मुंगेर या जमालपुर जाना पड़ता है, जो लगभग 20 किलो मीटर दूर है जिसके कारण वहाँ के छात्र-छात्राओं को काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मुंगेर जिला के बरियारपुर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

इंटरस्तरीय भवन बनाना

*114. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के वारिसलीगंज प्रखंड के मध्य विद्यालय, अपसढ् का इन्टर विद्यालय में उत्क्रमण किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में भवन की कमी के कारण पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में इंटरस्तरीय भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्कूल में कमरों का निर्माण

*115. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत नावकोठी प्रखंड के हसनपुर बागर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हसनपुर बागर में आठ कमरे में एक हजार से अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त करते है ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्कूल में कमरे की कमी के कारण बच्चों को बैठने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्कूलों में अधिक कमरा बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*116. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महुआ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत चेहराकला प्रखंड के सेहान हाई स्कूल के मैदान में स्टेडियम का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर स्टेडियम निर्माण के अभाव में खेल प्रेमियों को अन्यत्र स्थानों पर जाना पड़ता है जिसे कठिनाई होती है जबकि उक्त विद्यालय में मानक के अनुरूप भू-खंड भी प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालय में स्टेडियम निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*117. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के मोदनगंज प्रखंड अन्तर्गत नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, हसनपुर तथा प्रियतम बिगहा का भवन न रहने का हवाला देकर पहले पड़ोस के विद्यालय में टैग किया गया और अब मर्ज कर दिया गया है, जबकि दोनों विद्यालयों के नाम गांव के जमीनदाताओं ने वर्षों पूर्व जमीन दान दिया है अर्थात भवन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मर्ज किया गया विद्यालय वापस लाने तथा भवन निर्माण कर प्रितम बिगहा तथा हसनपुर में पुन: विद्यालय स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रसोइयों को मुआवजा देना

*118. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--हिंदी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित खबर ''नौ वर्षों में चार हजार रसोइए और सहायकों का निधन'' के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 4000 रसोइया एवं सहायकों का पिछले 9 वर्षों में सेवाकाल में निधन हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में रसोइए और सहायकों के नियुक्ति के लिए चयन के समय ही अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सा प्रमाण-पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया है, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि मृत रसोइया के निकटतम आश्रितों को 4,00,000 रुपये सरकारी सहायता देने का प्रावधान है परंतु मृत 500 रसोइया के आश्रित परिजन उक्त राशि से वंचित हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियुक्त रसोइयों से चिकित्सा प्रमाण-पत्र जमा लेने के साथ मृत रसोइयों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपये सरकारी सहायता देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मदरसा शिक्षकों का वेतन

*119. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभाग के पत्रांक-10/मु0 62/2020-04, दिनांक 02 जनवरी, 2024 के द्वारा 205 कोटि के 98 मदरसों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त सन्दर्भ में 205 कोटि के मदरसों के लिये विभागीय संकल्प सं0 1090, दिनांक 29 नवम्बर, 1980 के सभी शर्तों को पूर्ण कर बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा वांछित अभिलेख स्पष्टीकरण सहित जमा करने का आदेश निर्गत हुआ था, जिसे वेतन रोक वाले 98 मदरसों ने मदरसा शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में बहुत पहले जमा कर दिया है लेकिन मदरसा शिक्षा बोर्ड के स्थायी अध्यक्ष और समिति के न होने से शिक्षकों का वेतन अभीतक लंबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिन 98 मदरसों के शिक्षकों के वेतन पर रोक लगायी गयी है उनका वेतन निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*120. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत नगमा के ग्राम-नगमा में वर्ष 2010 में हाई स्कूल के भवन का निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि जनवरी, 2024 में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0 द्वारा संविदा के उपरांत अभीतक मात्र 10 प्रतिशत कार्य ही किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नगमा हाई स्कूल के भवन निर्माण का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*121. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी 534 प्रखंडों में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना से एक-एक स्टेडियम निर्माण कराने का निर्णय वर्ष-2008-2009 में लिया गया था, जबकि 16 वर्ष बीत जाने के बावजूद अभीतक विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण 300 से अधिक प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार लापरवाही बरतने वाली पदाधिकारियों पर कार्रवाई के साथ कबतक सभी प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*122. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला अंतर्गत परबत्ता प्रखंड के माधवपुर पंचायत के मुरादपुर मध्य विद्यालय का भवन पिछले दो साल से जर्जर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग के द्वारा राशि भी आवंटित कर दी गयी फिर भी स्कूल नहीं बन पा रहा, जिससे लगभग हजारों बच्चे को बाहर में बैठना पड़ता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि स्कूल में जमीन अतिक्रमण मुक्त है और कोई विवाद भी नहीं होने के बावजूद विद्यालय निर्माण नहीं किया गया रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक माधवपुर पंचायत के मुरादपुर मध्य विद्यालय का भवन निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण

*123. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के राजपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत इटाढ़ी प्रखण्ड में उर्दू प्राथमिक विद्यालय, इटाढ़ी, प्राथमिक विद्यालय, चांदू डिहरा, कन्या प्राथमिक विद्यालय, बडकागाम, मध्य विद्यालय, मथौली, प्राथमिक विद्यालय, उदयपुरा एवं प्राथमिक विद्यालय, मोहनपुर का भवन जर्जर होने के कारण छोटे बच्चे दूसरे जगह जाकर अध्ययन करते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों के भवन को नए सिरे से बनाने के साथ चहारदीवारी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय सहायकों की नियुक्ति

*124. श्री राम विशुन सिंह (क्षेत्र संख्या-197 जगदीशपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के उच्च एवं उच्चतर 10+2 माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय सहायक की नियुक्ति नहीं होने से विद्यालय कार्य बाधित हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जिला स्तर पर विद्यालय प्रबंधकारिणी के अध्यक्ष, जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं एससी/एसटी सदस्य द्वारा समिति गठित कर सभी विद्यालयों में विद्यालय सहायक की नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम को नये सिरे से निर्माण

*125. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के लदनियां प्रखंड अन्तर्गत जे०सी०के०एल० उच्च विद्यालय, खाजेडीह के प्रांगण में स्टेडियम निर्माण के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति अप्राप्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्टेडियम को नये सिरे से निर्माण हेतु अंके० 1,83,46,558 (एक करोड़ तिरासी लाख छियालीस हजार पाँच सौ अठावन) रुपये का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा पत्र संख्या 824, दिनांक 13 सितम्बर, 2024 के द्वारा सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना एवं उसकी प्रति प्रधान सचिव, खेल विभाग, बिहार सरकार, पटना को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पत्र प्रेषित किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्टेडियम को नये सिरे से निर्माण कार्य प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*126. श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है नवादा जिला के हिसुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत नरहट प्रखण्ड में एक भी छात्रावास नहीं होने की वजह से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के +2 स्कूलों और डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के साथ-साथ समेकित शैक्षणिक विकास करने का सुअवसर प्राप्त नहीं हो पाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नवादा जिला के नरहट प्रखण्ड में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आई०टी०आई० कॉलेज में पठन-पाठन शुरू कराना

*127. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के बारसोई प्रखंड में उच्च साधन सुविधा से युक्त प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु एक आई०टी०आई० कॉलेज की स्थापना सन् 2019 में ही हो चुका है, परंतु आजतक इस संस्थान में बच्चों का पठन-पाठन प्रारम्भ नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त संस्थान में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा अवकाश देना

*128. श्री शिव प्रकाश रंजन (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि BPSC TRE-1 & TRE-2 द्वारा चयनित नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशन पीरियड) के दौरान चिकित्सा अवकाश का प्रावधान नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक BPSC द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापकों को परिवीक्षा अवधि के दौरान चिकित्सा अवकाश देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई करना

*129. श्रीमती वीणा भारती (क्षेत्र संख्या-44 त्रिवेणीगंज (अ०जा०))--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला में चौसा प्रखण्ड के सी० डी०पी०ओ० प्रभारी नाजीर एवं अन्य कर्मचारियों के मिली भगत से 2024 में अप्रैल महीना का गैस रिफलिंग की राशि 1,74,000 रु० चौसा प्रखंड के सेविकाओं को नहीं दिया गया, यदि हाँ, तो सरकार इस अनियमितता की जाँच करवाकर दोषियों पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*130. श्री राज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के मटिहानी विधान सभा अन्तर्गत शाम्हो प्रखंड के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिये सड़क मार्ग से 75 कि०मी० दूरी तयकर जलमार्ग से होते हुये लगभग 17 कि०मी० रेत पर चलकर अनुमंडल मुख्यालय, बेगूसराय आना पड़ता है, जिसके कारण यहां के अधिकांश छात्र-छात्राएँ उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार वर्तमान में अनुमंडल स्तर पर किये जा रहे डिग्री कॉलेज निर्माण के नियम को शिथिल करते हुये शाम्हो प्रखंड में विशेष परिस्थिति में कबतक एक डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण एवं चहारदीवारी कराना

*131. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के राजपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत राजपुर प्रखंड के ग्राम-खिरी में जामिया रहमानीय समसुल उलूम मदरसा खिरी अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मदरसा में भवन जर्जर है तथा चहारदीवारी भी नहीं है जिसके कारण अतिक्रमण किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मदरसा के भवन बनाने के साथ चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्मारक का सौंदर्यीकरण

*132. श्री चेतन आनंद (क्षेत्र संख्या-22 शिवहर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर के तारियानी छपड़ा में स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों का स्मारक है जिसके रख-रखाव एवं सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त शहीद स्मारक का सौंदर्यीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्देश का अनुपालन करना

*133. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक पी०पी०यू० 11/2024 (पार्ट-5) 1749, दिनांक 1 अक्टूबर, 2024 के क्रम संख्या 16 द्वारा (डी०एन०कॉलेज, मसौढ़ी (पटना के मामले में) बिना UGC की अर्हता के तदर्थ नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति का सशर्त M.U. के द्वारा किये गये गलत अनुमोदन को निरस्त करने का निर्देश पाटलिपुत्र वि०वि० के कुल सचिव को दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त निर्देश का अनुपालन कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*134. श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के हिसुआ नगर परिषद् के शहरी क्षेत्रान्तर्गत एक भी इंडोर स्टेडियम नहीं होने की वजह से उस क्षेत्र के खिलाड़ियों को अपने खेल-कौशल के सम्पूर्ण विकास का सुअवसर प्राप्त नहीं होता है, जिससे सरकार की खेल नीति के अनुकूल वहां के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रदर्शन की सुविधा नहीं मिल पाती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक हिसुआ नगर परिषद् के शहरी क्षेत्र में इंडोर खेल स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय का पुनर्निर्माण

*135. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी शहर में अवस्थित सूड़ी उच्च विद्यालय नियमित रख-रखाव के अभाव में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त उच्च विद्यालय का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*136. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गुरूआ प्रखंड के +2 उच्च विद्यालयों के बच्चों के खेल-कूद हेतु विद्यालय का अपना खेल का मैदान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस खेल के मैदान में जल-जमाव, आवारा पशुओं का आवागमन तथा असामजिक तत्वों के उपस्थिति के कारण विद्यालयों के बच्चों का शारीरिक विकास एवं खेल में बाधा उत्पन्न होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों के खेल मैदान के चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मानदेय बढ़ाना

*137. श्री अमर कुमार पासवान (क्षेत्र संख्या-91 बोचहाँ (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के सभी उच्च विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात्रि प्रहरी को अस्थायी रूप से अनुबन्ध पर रखा गया है, जिसकी मासिक मानदेय 5000 रुपये हैं, जिसे विद्यालय विकास कोष से भुगतान किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इतना अल्प मानेदय भी समय पर नहीं मिल पाता है जिसके कारण रात्रि प्रहरी को जीविकोपार्जन चलाना कठिन हो जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त रात्रि प्रहरी को समय पर मासिक मानदेय देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*138. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौढ़ी (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 602, दिनांक 25 फरवरी, 2023 द्वारा उप विकास आयुक्त, पटना से मनरेगा योजना अन्तर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, राजघाट नवादा, प्रखंड पुनपुन में चहारदीवारी निर्माण कराने हेतु आनुरोध किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में चहारदीवारी निर्माण नहीं होने के कारण छात्राओं पर असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा फब्तिया कसी जाती तथा हमेशा सरकारी सम्पत्ति की चोरी का भय बना हुआ रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*139. डॉ०सी०एन० गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 21 अगस्त, 2024 को प्रकाशित शीर्षक ''सारण के 123 विद्यालयों में वर्गकक्ष की कमी, 168 स्कूल भवनहीन'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि --

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के 20 प्रखंडों के 123 विद्यालयों में वर्गकक्ष कमी के कारण कक्षाएँ सही ढंग से संचालित नहीं हो रहे हैं और 168 विद्यालय भवनहीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के 123 विद्यालय में छात्र/छात्राओं की उपस्थिति दर 60 प्रतिशत से अधिक है परन्तु वर्गकक्ष के अभाव के कारण कुछ छात्र/छात्राएँ घर लौट जा रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त 123 विद्यालयों के अतिरिक्त वर्गकक्ष एवं भवनहीन विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रवीन्द्र भवन का मरम्मती कार्य

*140. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (TMBU) परिसर में अवस्थित रवीन्द्र भवन (टिल्हा कोठी) की सीढ़िया, मेहराबें मरम्मती के अभाव में बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपर्युक्त रवीन्द्र भवन का मरम्मती कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन का निर्माण

*141. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल प्रखंड के ग्राम पंचायत, लाउढ़ के ग्राम-सहनमा टोला में सामुदायिक भवन नहीं रहने के कारण सार्वजनिक कार्यों में महादलित समुदाय को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त महादलित टोला/बस्ती में सामुदायिक भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करना

*142. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा डुमराँव अनुमंडल में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खाँ के नाम से कला विश्वविद्यालय को शुरू करने का प्रस्ताव लम्बित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला अधिकारी, बक्सर का पत्रांक 02-0581/सा0, दिनांक 20 मार्च, 2023 के आलोक में राज +2 उच्च विद्यालय के परिसर में विश्वविद्यालय के अस्थायी संचालन हेतु एक नये भवन को चयनित किया गया है, जिसमें इसे तत्काल संचालित किया जा सकता है, परन्तु शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण इसका संचालन लम्बित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खाँ को सम्मान देने के लिये डुमराँव में तत्काल कला विश्वविद्यालय शुरू करने के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत कर इसे शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का भवन निर्माण

*143. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत ओबरा प्रखंड स्थित महुआव पंचायत के ग्राम-कैथी में राजकीयकृत उच्च विद्यालय का भवन जर्जर है जिस कारण छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतन भुगतान कराना

*144. मो0 आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मियों को सरकारी विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मियों के अनुरूप 5वाँ एवं छठा वेतन पुनरीक्षण कर बकाया वेतन का भुगतान करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल0ए0पी0 43/16, दिनांक 13 अगस्त, 2019 आदेश पारित किया गया था, उक्त न्यायादेश के आलोक के एक वर्ष पूर्व अंकेक्षण कोषांग, बिहार सरकार द्वारा अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया गया है लेकिन आजतक उक्त अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों का 5वाँ एवं छठा वेतन पुनरीक्षण कर बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त शिक्षकों एवं कर्मियों का वेतन भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज की स्थापना कराना

*145. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महुआ अनुमंडल में सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं की गई है जिस कारण छात्र एवं छात्राओं को पठन-पाठन हेतु अन्यत्र स्थानों पर जाना पड़ता है जिससे कठिनाई होती है जबकि सरकारी मानक के अनुरूप उक्त अनुमंडल में जमीन भी उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त अनुमंडल मुख्यालय में डिग्री कॉलेज की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुस्तक एवं बैग आदि की आपूर्ति

*146. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी विद्यालयों में पुस्तक एवं गुणवत्तापूर्ण बैग आदि का ससमय एजेंसियों द्वारा आपूर्ति कराना प्रस्तावित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालयों में एजेंसियों द्वारा आपूर्ति कराये गये बैग आदि गुणवत्तापूर्ण नहीं रहता है व एजेंसी एवं विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी राशि का बंदरबांट किया जा रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत 55 कोचाधामन विधान सभा के सभी विद्यालयों में पुस्तक एवं बैग आदि का वितरण ससमय नहीं होने से छात्र-छात्राओं के बीच पठन-पाठन के कार्यों में कठिन समस्याएं उत्पन्न होता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जाँचोपरान्त कोचाधामन विधान सभा के सभी विद्यालयों में ससमय पुस्तक एवं गुणवत्तापूर्ण बैग आदि की आपूर्ति कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्नातक कोर्स की मान्यता देना

*147. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड में अवस्थित इंदिरा गाँधी रामजी राय महाविद्यालय प्रखंड का एकमात्र डिग्री कॉलेज है जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय में विगत दो वर्षों से डिग्री कोर्स की मान्यता समाप्त कर देने से क्षेत्र के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिये 20 किलो मीटर दूर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्र हित में उक्त महाविद्यालय में स्नातक कोर्स की मान्यता बहाल करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आँगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण कराना

*148. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के चेवाड़ा प्रखंड अन्तर्गत लहना पंचायत के अधीन पड़ने वाले किसी भी गाँव में अभीतक आँगनबाड़ी केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत में पड़ने वाले सभी आँगनबाड़ी केन्द्र भवन के अभाव में सामुदायिक भवन, निजी मकान अथवा प्राथमिक विद्यालयों में संचालित किये जा रहे हैं जिससे कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायत के अधीन पड़ने वाले गाँव में आँगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नयी नियमावली बनाना

*149. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 50 (पच्चास) से अधिक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण बालिका/बालक आवासीय विद्यालय संचालित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालयों में प्रतिनियुक्त शिक्षक/शिक्षिकाओं को आम विद्यालय के भाँति कार्य निष्पादन प्रणाली नहीं उपलब्ध कराया गया है, जिससे शिक्षक/शिक्षिकाओं को कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्त शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा कार्य निष्पादन हेतु नयी नियमावली बनाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

*150. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत नौतन एवं बैरिया प्रखंड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंध समिति के पदेन अध्यक्ष शिक्षा विभाग के विभागीय अधिसूचना संख्या मा0शि0/सा0प्र0अधि0-प0-99/93(खण्ड) 389, दिनांक 3 मार्च, 2022 के आलोक में स्थानीय विधायक होते हैं जिनकी अध्यक्षता में प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उत्क्रमित माध्यमिक स्कूल लक्ष्मीपुर दुबौलिया, नौतन समेत सभी विद्यालयों में विद्यालय प्रधानाध्यापक द्वारा अपनी अध्यक्षता में ही प्रबंध समिति की बैठक फरवरी, 2024 जून, 2024, जनवरी, 2024 में आयोजित कर विद्यालय कोष में उपलब्ध राशि को व्यय कर लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियमावली की अनदेखी करने वाले प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई करना

*151. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत नौतन एवं बैरिया प्रखंड के विद्यालय जैसे प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, कठैया, उच्च विद्यालय, नौतन, उत्क्रमित माध्यमिक स्कूल लक्ष्मीपुर दुबौलिया नौतन, उच्च विद्यालय, बथना बैरिया, उच्च विद्यालय, पखनाहा बैरिया, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, मियांपुर तिलंगही बैरिया में जिला शिक्षा कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा नवम्बर, 2023 से लेकर अप्रील, 2024 तक बेंच, डेस्क की आपूर्ति एवं चहारदीवारी, भवन मरम्मती, शुद्ध पेयजल हेतु बोरिंग का कार्य कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आपूर्ति किये गये सभी बेंच, डेस्क घुन लगकर टूट गया है तथा मरम्मत भवन जर्जरता का शिकार हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खराब सामान आपूर्तिकर्ता तथा गुणवत्ता रहित निर्माण कार्य करने वालों के विरुद्ध जाँच कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन एवं शेड निर्माण

*152. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के पताही प्रखंड के ग्राम पंचायत बेतौना अन्तर्गत ग्राम-बेतौना परती टोला रविदास बस्ती में करीब 150 घर महादलित परिवार है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम में सामुदायिक भवन एवं शेड नहीं है एवं पर्याप्त भूमि उपलब्ध हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त टोला में सामुदायिक भवन एवं शेड निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सहायक कर्मी की पुनर्बहाली

*153. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ICDS पूर्व निदेशक द्वारा 31 अगस्त, 2022 को चारों कार्यरत पदों में से एक को कुल पद 425 जिनका अल्प मानदेय 15000 रु० मात्र हैं, सभी प्रखंड परियोजना सहायक कर्मी को अकारण कार्य से हटा दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि निदेशक ICDS पटना के पत्रांक 2621, दिनांक 17 मई, 2019 द्वारा बिहार के प्रत्येक जिला में जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय दो-दो पद पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा योजना अवधि अथवा 60 साल तक चारों पद पर बहाली की गयी थी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रखंड परियोजना सहायक कर्मी की पुनर्बहाली का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों का वेतन वृद्धि

*154. श्री विनय कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-80 बेनीपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा में स्ववित पोषित योजना के तहत दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के द्वारा संचालित बी०एड० नियमित की स्थापना की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि बी०एड० नियमित के स्थापना काल में विधिवत प्रक्रिया के तहत नियुक्त शिक्षकों के वेतन वृद्धि 2016 से बिना किसी आदेश/अधिसूचना के बंद है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त शिक्षकों के वेतन वृद्धि का लाभ फिर से देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*155. श्री विजय कुमार मण्डल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के दिनारा प्रखण्ड मुख्यालय में अवस्थित बलदेव उच्च विद्यालय, दिनारा में बहुत बड़ा फिल्ड है, जिसका चहारदीवारी नहीं किया गया है, जिसके कारण चारों तरफ से अतिक्रमण किया जा रहा है तथा पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बलदेव उच्च विद्यालय दिनारा के फिल्ड को चहारदीवारी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कर कार्रवाई करते हुये नये प्रभारी प्राचार्य नियुक्त कराना

*156. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के अन्तर्गत जानकी संस्कृत उप-शास्त्री महाविद्यालय, नरकटियागंज, पश्चिमी चम्पारण में प्रभारी प्राचार्य के पद पर एक ही व्यक्ति का तीन-तीन बार नियुक्ति किया गया है, जो कि नियमसंगत नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय में शासी निकाय द्वारा प्रभारी प्राचार्य पर वित्तीय अनियमितता एवं संदेहास्पद नियुक्ति के आलोक में तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करने का प्रस्ताव पासकर विश्वविद्यालय के कुल सचिव से नये प्रभारी प्राचार्य नियुक्त करने का आग्रह किया गया था, परंतु अबतक प्राचार्य बदलने की कार्रवाई विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शासी निकाय के गंभीर आरोपों के आलोक में तत्कालीन प्रभाव से वर्तमान प्रभारी को विरमित कर उनपर लगे आरोपों की जाँचकर कार्रवाई करते हुये नये प्रभारी प्राचार्य नियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आवास मुहैया कराना

*157. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (क्षेत्र संख्या-127 राजापाकर (अ०जा०))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भूमिहीन महादलित परिवारों को गृह निर्माण हेतु जमीन खरीद के लिये दी जाने वाली राशि से महंगाई के दौर में उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भूमिहीन दलितों के आवास हेतु जमीन खरीद योजना की बजाय सभी मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण आवास की कोई वैकल्पिक योजना विभाग के पास नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भूमिहीन महादलित परिवारों को सारी सुविधाओं के साथ कॉलोनी बनाकर आवास मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

खेल मैदान में मूल सुविधाएँ उपलब्ध कराना

*158. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभुतिपुर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अन्तर्गत सकरा पंचायत के तरूणिया गाँव स्थित तरूणिया खेल मैदान में सीटींग स्लैब, चहारदीवारी, पेयजल शौचालय, लाइट आदि मूलभूत सुविधाएँ नहीं होने के कारण खिलाड़ियों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त खेल मैदान में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम के समतलीकरण कराना

*159. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिले के सुलतानगंज प्रखंड अन्तर्गत कृष्णा नंद स्टेडियम जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं तथा यह अवारा पशुओं की शरण स्थली बन गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्टेडियम आमजनों के लिये तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिये छात्र-छात्राओं का एक मात्र अभ्यास स्थल है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस स्टेडियम के समतलीकरण के साथ-साथ सौन्दर्यीकरण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालयों में पठन-पाठन शुरू कराना

*160. श्री विनय विहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत लौरिया अंचल स्थित मरहियां तथा योगापट्टी अंचल स्थित बलुआ में करोड़ों की लागत से मॉडल हाई स्कूल के भवन का निर्माण कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 6 वर्ष पूर्व निर्मित उक्त दोनों विद्यालयों के भवनों में आजतक पठन-पाठन का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है ;

(3) क्या यह बात सही है कि 6 वर्ष पूर्व निर्मित दोनों विद्यालय भवन का उचित रख-रखाव नहीं होने से स्थिति खराब हो रही है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में पठन-पाठन का कार्य प्रारम्भ कराने एवं रख-रखाव का उचित व्यवस्था कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण कराना

*161. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा विधान-सभा अन्तर्गत प्रखंड कुटुम्बा के महाराजगंज स्थित मनिकराज प्राथमिक विद्यालय में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय का संचालन हो रहा है, जिसका अपना भवन नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त आवासीय विद्यालय का अपना भवन बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का चहारदीवारी का निर्माण

*162. मो० आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के मोहनी टिकापुर स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय का चहारदीवारी का निर्माण अभीतक नहीं किया गया है, जिसके कारण आवारा पशु एवं असामाजिक तत्व का प्रवेश होता रहता है, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय का चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय स्थापित कराना

*163. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनियाँ (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियाँ प्रखंड के पंचायत भिट्टी के ग्राम-केवड़ी ममरेजपुर में प्राथमिक विद्यालय नहीं है जिस कारण बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन उपलब्ध कराना

*164. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के चेवाड़ा प्रखंड अन्तर्गत चकन्द्रा पंचायत के ग्राम-चकन्द्रा स्थित चकन्द्रा मध्य विद्यालय को तीन पूर्व उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है, भवन के अभाव में अभी भी मध्य विद्यालय के लिये पूर्व निर्मित भवन में ही शिक्षा ग्रहण कराई जा रही है, जिससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त उत्क्रमित उच्च विद्यालय को कबतक भवन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय को अपग्रेड करना

*165. श्री श्रीकान्त यादव (क्षेत्र संख्या-113 एकमा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत लहलादपुर प्रखण्ड के बसही पंचायत में मध्य विद्यालय, बसही हिन्दी अवस्थित है जिसको अपग्रेड कर उच्च विद्यालय नहीं किया गया है जिसके कारण यहाँ की बालिकायें उच्च विद्यालय की शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय को अपग्रेड करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों नहीं ?

बैठका का निर्माण

*166. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड-चोखड़ा के ग्राम+पंचायत कुरहर वार्ड नं०-3 दलका पुल के निकट 40 घर अनुसूचित जाति मुशहर समाज के लोग बसे हुये हैं, जहाँ कोई सार्वजनिक बैठका (शेड) नहीं है, जिसके कारण उक्त समुदाय के लोगों को सार्वजनिक रूप से उठने-बैठने में काफी कठिनाई होती है जबकि वहाँ बिहार सरकार की जमीन खेसरा नं०-2284, खाता नं०-301, रकबा 55डी० मौजूद है;

(2) यदि हाँ, तो सरकार वहाँ बसे लोगों के लिए अनुसूचित जाति बैठका (शेड) निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस एवं ऑटो स्टैण्ड बनाना

*167. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के तिलौथु बाजार में बस स्टैण्ड एवं ऑटो स्टैण्ड नहीं होने से ग्रामीण जनता को काफी कठिनाई होती है तथा प्रतिदिन जाम की समस्या रहती है जबकि बस स्टैण्ड के लिए जमीन भी उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक रोहतास जिला के तिलौथु बाजार में बस एवं ऑटो स्टैण्ड बनाने का विचार रखती है, नहीं,तो क्यों ?

विद्यालय हस्तांतरण करना

*168. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत किशनपुर प्रखंड स्थित सुखासन पंचायत के ग्राम चिल्हवा में प्राथमिक, विद्यालय चिल्हवा का पुराना भवन काफी जर्जर है;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रा०वि०, चिल्हवा निजी भूमि में संचालित हो रहा है, जिसके कारण विद्यालय भवन का निर्माण कार्य बाधित हो रहा है, जबकि सन् 1990 में ही राज्यपाल के नाम से विद्यालय भूमि निबंधित है, जिसका खाता-282, खेसरा सं०-3057, मौजा सुखासन, रकबा-14 डी० है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को निबंधित भूमि में भवन निर्माण कराकर संचालित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना
दिनांक 26 नवम्बर, 2024(ई०)।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

बि०स०मु० 44 (एल०ए०) 2024-25 डी०टी०पी०-550

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2024